राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 1/2013–14

विज्ञापन संख्या :– संयुक्त विज्ञापन सं.1/भर्ती/2013–14 **दिनांक : 02.05.2013**

*आयोग द्वारा निम्नलिखित पद हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं–*

1. पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer) भर्ती 2013 (राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत)

पद व विभाग	पद संख्या	आयु	वेतनमान
पशु चिकित्सा अधिकारी पशु पालन विभाग	**350**	दिनांक 01.01.2014 को न्यूनतम 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परन्तु 37 वर्ष का नहीं हुआ हो।	रनिंग पे–बेण्ड–3 (15600–39100/–) ग्रेड पे. सं.–15 (5400/–)

शैक्षणिक योग्यताः–

(हिन्दी में) (1) पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक उपाधि (B.V.Sc. & A.H.) या समकक्ष योग्यता किसी मान्य विश्वविद्यालय से।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान

(In English) (1) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry or its equivalent from a recognized University.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani culture.

रिक्त पदों का विस्तृत वर्गीकरण

कुल रिक्त पद	अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)				आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)														विशेष योग्यजन	
					अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग			विशेष पिछड़ा वर्ग			P.D	L.D. & C.P. (OL)
	सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला		सा.	महिला			
		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.		सा.	वि.		
350	70	20	8	2	70	20	8	2	74	22	8	2	29	11	2	2	–	–	5	8
					इन पदों में 32 पद बैकलॉग के हैं।				इन पदों में 24 पद बैकलॉग के हैं।											

- **संक्षिप्ताक्षर :– सा.– सामान्य, वि.– विधवा, परि.– परित्यक्ता** (विच्छिन्न विवाह महिला)
- विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पदों में नियमानुसार निम्न प्रकार के अभ्यर्थी पात्र होंगे :–

  Hearing impairment

  P.D.- Partially Deaf

  Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)

  O.L.- One leg affected (R or L)

  (a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

नोट :– 1 शासन से रिक्त पदों का संशोधित विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथा समय जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

2. उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष** में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिये पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।

3. अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में रजिस्टर्ड होना चाहिये तथा इसके प्रमाण में विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रमाण–पत्र संलग्न कर भेजना भी आवश्यक है।

4. अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की दिनांक तक इन्टर्नशिप ट्रेनिंग भी पूर्ण करना आवश्यक है।

2. आयु सीमा में छूट :– पद कि विहित आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगीः–

(1) इस पद को आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है–

क.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15

<u>नोटः</u>– "उक्त प्रावधान में दिए गए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से सम्बन्धी प्रावधानों में तत्सम्बन्धी आरक्षित वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए तो उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।"

(3) अपवादीय मामलों में राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर 5 वर्ष की छूट दे सकती है।

(4) रिजर्विस्ट्स् अर्थात् जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी पद से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया है, के लिए 50 वर्ष होगी।

(5) भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(6) अन्य भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(7) रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जाएगा।

(8) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिऐ जाएंगे।

(9) कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

(10) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में 40 वर्ष होगी।

(11) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

<u>नोटः</u>– उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

3. भूवैज्ञानिक (Geologist), भर्ती, 2013 (राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के अन्तर्गत)

पद व विभाग	पद संख्या	आयु	वेतनमान
भूवैज्ञानिक (Geologist), खान एवं भूविज्ञान विभाग	**14**	दिनांक 01.01.2014 को न्यूनतम 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परन्तु 42 वर्ष का नहीं हुआ हो।	रनिंग पे–बेण्ड सं.3(15600–39100 / –) ग्रेड पे.सं.–15 (5400 / –)

शैक्षणिक योग्यताः–

(हिन्दी में) (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भूविज्ञान या व्यावहारिक भूविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स एण्ड एप्लाइड जियोलोजी, धनबाद से व्यावहारिक भूविज्ञान में डिप्लोमा या शासन द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

(In English) (1) Post Graduate Degree in Geology or Applied Geology from a University established by Law in India or Diploma in Applied Geology from Indian School of Mines and Applied Geology Dhanbad or a qualification declared equivalent by the Govt.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani culture.

रिक्त पदों का विस्तृत वर्गीकरण

रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						विशेष योग्यजन (L.D. & C.P.) O.L.
			अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		
	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	
14	7	2	2	–	1	–	2	–	1

- **संक्षिप्ताक्षर– सा.= सामान्य, म..= महिला**
- विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पदों में नियमानुसार निम्न प्रकार के अभ्यर्थी पात्र होंगे :–

Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)

O.L.- One leg affected (R or L)

(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

नोट :– 1 शासन से रिक्त पदों का संशोधित विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथा समय जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

2. उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष** में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिये पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।

4. आयु सीमा में छूट :– पद कि विहित आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगीः–

(1) इस पद को आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है–

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा / विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अ0जा0 / अ0ज0जा0	15

नोटः– "उक्त प्रावधान में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से सम्बन्धी प्रावधानों में तत्सम्बन्धी आरक्षित वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए तो उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।"

(3) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(4) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(5) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।

(6) कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतनी ही अवधि के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।

(7) रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स / शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जावेगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।

नोटः– उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 7 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

5. **आवेदन तिथि – आवेदन 5 मई 2013 से दिनांकः 30.05.2013 रात्रि 12–00 बजे तक के मध्य भरे जा सकेंगे (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।)** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

6. **परीक्षा का माह एवं स्थान–** पशु चिकित्सा अधिकारी एवं भू–वैज्ञानिक पद की परीक्षा सम्भवत **माह जुलाई, 2013** में अजमेर जिले में ली जाएगी। परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आवेदक द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। अतः आयोग द्वारा स्वविवेक से परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है।

7. **अन्य बिंदु व सूचना :–** आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए आयोग द्वारा **दिनांक 01.01.13** को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** का अध्ययन कर लें, जो आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन / सूचना / स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212, 5151200 एवं 5151240** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव